16/6/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में वर्णित आराजी चक 13 जीजीआर के खाता सं0 308/174 में अप्रार्थी सं0 1 औमप्रकाश 1201/9614 हिस्सा व अप्रार्थी सं0 2 कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश 1201/9614 हिस्सा व इसी प्रकार चक 10 जीजीआर के खाता सं0 427/224 की संयुक्त आराजी में अप्रार्थी सं0 1–2 प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सा आराजी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की सहदायिकी व पैतृक संपति है। अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं0 1 से उक्त वाद भूमि में से हिस्सा अपने नाम जरिये दान पत्र अपने नाम दर्ज करवा लिया। उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित होने से अप्रार्थी सं0 2 को उक्त वाद भूमि में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण वाद भूमि को रहन, बैय व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने पर आमदा है। इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पावन्द किया जावें कि वे वाद भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में अप्रार्थी सं0 1–2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में मूल वाद अपने हकों की घोषणा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें साक्ष्य सबूतों एवं गुणावगुण के आधार पर प्रार्थीगण के हकों का निर्धारण होना है। चूंकि उक्त वाद भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के पिता व माता के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पावन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी चक 13 जीजीआर के खाता सं0 308/174 में अप्रार्थी सं0 1 औमप्रकाश 1201/9614 हिस्सा व अप्रार्थी सं0 2 कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश 1201/9614 हिस्सा व इसी प्रकार चक 10 जीजीआर के खाता सं0 427/224 की संयुक्त आराजी में अप्रार्थी सं0 1–2 प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सा आराजी में रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखें। निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner